Website:- www.dipronline.org

email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

सिविल सेवा परीक्षा में जिले के दो युवाओं का चयन

झुंझुनू, 7 मई: केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग यू.पी.एस. की ओर से गुरूवार को घोषित किए गए परिणाम में झुंझुनू जिले के दो युवाओं का भी चयन हुआ है। दोनों ही युवक किसान परिवार से हैं और वर्तमान में राजस्थान व न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं। झुंझुनू पंचायत समिति के अजाड़ी कलां गांव की सेजा की ढाणी के सुनील कुमार महला ने आई.ए.एस. में जहां 504 वीं रैंक प्राप्त की है, वहीं अलसीसर पंचायत समिति के टमकोर गांव के सुरेन्द्र चौधरी ने भी आई.ए.एस. में 452 वीं रैंक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया है।

सुनील कुमार महला का जन्म 10 अक्टूबर 1978 को माता अणची देवी (50 वर्ष) व पिता राधेश्याम महला के यहां हुआ था। इनकी माताजी निरक्षर हैं, जबकि इनके पिताजी 5 वीं तक ही पढ़े थे, जो खेती का कार्य करते थे। इनके पिता का निधन 1983 में ही हो गया था। सुनील महला ने कक्षा 4 तक की शिक्षा अजाड़ी गांव में, 8 वीं तक की शिक्षा ननिहाल खींवासर में और 10 वीं तक की शिक्षा छावसरी गांव में तथा कक्षा 12 की शिक्षा गुढ़ागौड़जी से प्राप्त की है। इन्होंने स्नातक की शिक्षा नवलगढ़ स्थित सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज नवलगढ़ से 1998 में प्राप्त की थी, जिसमें इन्होंने 64 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और मई 2005 में इन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाईन किया था। वर्तमान में टौंक में पटवार ट्रेनिंग में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित हैं।

महला के परिवार में छोटा भाई राजेश कुमार 9 वीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा है, जो खेती का कार्य करता है। धर्म पत्नी श्रीमती सरिता (30 वर्ष) एम.ए. तक शिक्षित है। जिनका पीहर कैरू (नवलगढ़) है। इनके एक लड़का ऋषि तीन वर्ष का है। छोटी बहन श्रीमती रेखा की ससुराल बगड़ में है। उल्लेखनीय बात यह है कि महला के दादा चौ. नारायण सिंह अजाड़ी गांव के 14 साल तक सरपंच रहे हैं। सुनील महला ने तीन बार पहले भी आई.ए.एस. की परीक्षा दी थी लेकिन 2008 में वे साक्षात्कार में असफल रह गये लेकिन छठी बार यह कामयाबी मिली है। इस पर उन्हें खुशी है कि वे अजाड़ी गांव के पहले आई.ए.एस. बने हैं। अजाड़ी के पूर्व सांसद कन्हैयालाल महला भी इसी गांव के थे। इनके छोटे भाई राजेश ने बताया कि प्रारंभ से ही सुनील ने आई.ए.एस. बनने का सपना सजो रखा था जिसमें उन्हें अब कामयाबी हासिल हुई है। नायब तहसीलदार के पद पर भी उन्होंने घरवालों के दवाब के कारण ज्वाईन किया था।

सिविल परीक्षा में चयनित जिले के सुरेन्द्र चौधरी का जन्म 21 जून 1983 में हरदेव सिंह चौधरी के घर उनकी माता श्रीमती भंवरी देवी की कोख से टमकोर में हुआ था और इन्होंने स्नात्तक की परीक्षा 2002 में उत्तीर्ण करने के बाद मास्टर ऑफ लॉ की परीक्षा भी उत्तीणं की,

जिसके परिणाम स्वरूप उनका न्यायिक सेवा में 2008 में चयन हुआ और वे वर्तमान में विशिष्ट न्यायिक अधिकारी (एन.आई. एक्ट.) भीलवाड़ा में पदस्थापित हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा टमकोर गांव में ही हुई है। किसान परिवार में जन्में सुरेन्द्र चौधरी के दो बहिनें सरोज व संजू हैं जो विवाहित हैं, लेकिन सुरेन्द्र चौधरी अभी भी अविवाहित हैं। इनके पिता ने 1970 में एम.ए. तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्होंने नौकरी के बजाया खेती को ही अपनाया है।

प्रभारी मंत्री एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को झुंझुनू आएंगे

झुंझुनू, 7 मईः जिले के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आएंगे। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि प्रभारी मंत्री 10 मई (सोमवार) को प्रातः 9 बजे जयपुर से रवाना होकर 12 बजे झुंझुनू पहुंचेंगे और अपराह्न एक बजे केशव आदर्श मा. विद्यालय में बी.पी.एल. परिवारों को दो रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे तथा इसी दिन अपराह्न 3.30 बजे कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने के बाद सायं काल 6 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

बृजेन्द्र ओला के कोटे से तीन कार्यो के लिए 12.50 लाख मंजूर

झुंझुनू, 7 मईः जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत झुंझुनू विधायक एवं सहकारिता राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के कोटे से बीबासर में रामकुमार के घर से डूंगाराम के नोहरे तक सीमेन्ट सड़क निर्माण के लिए साढ़े तीन लाख रूपये, नयासर से झुंझुनू नगर पालिका सीमा तक आने वाली ग्रेवल सड़क के डामरीकरण के लिए 4.50 लाख रूपये और देरवाला पंचायत के हनुमानपुरा से फतेहसरा की ओर बनी हुई ग्रेवल सड़क के डामरीकरण के लिए भी 4.50 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं।

जनगणना शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

झुंझुनू, 7 मईः जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके जनगणना 2011 के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय तथा नगरपालिका कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक शिकायत नम्बर भी दिया जाएगा। यदि चार्ज स्तर पर शिकायत का निवारण नहीं होता है तो वे जिला मुख्यालय पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।

जिला कलेक्टर ने कहा है कि नियंत्रण कक्ष रजिस्टर का समय-समय पर सक्षम अधिकारियों एवं जिला जनगणना प्रभारी द्वारा निरक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय के दूरभाष नम्बर 232237 व 234402 तथा झुंझुनू तहसील के दूरभाष नम्बर 232747 और नगर परिषद झुंझुनू के दूरभाष नम्बर 232725, चिड़ावा तहसील के दूरभाष नम्बर 220014,

बुहाना के 288415, खेतड़ी के 234366, उदयपुरवाटी के 234223 और नवलगढ़ तहसील के 224132 पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसी प्रकार नगरपालिका बिसाऊ के दूरभाष नम्बर 264210, सूरजगढ़ के 237463, खेतड़ी के 234455, पिलानी के 242129, उदयपुरवाटी के 233441, विद्या विहार (पिलानी) के 245495, बगड़ के 221434, मण्डावा के 223136, मुकुन्दगढ़ के 252327, नवलगढ़ के 222040 और चिड़ावा नगरपालिका के दूरभाष नम्बर 220430 पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

झुंझुनू, 7 मईः महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में आगामी 16 मई (अक्षय तृतीया-आखा तीज) के पर्व पर जिले में होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर 01592-237148 है। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक ओ.पी. मीणा ने कहा है कि यह नियंत्रण कक्ष 15 मई से 17 मई तक 24 घण्टे चालू रहेगा जिस पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकेगा। नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनवारी लाल डांगी को बनाया गया है, जिनके मोबाइल नम्बर 9352712914 पर भी शिकायत दर्ज करवायी जा सकेगी।

विद्युत वितरण निगम पर दो हजार रूपये का जुर्माना

झुंझुनू, 7 मईः जिला उपभोक्ता मंच ने विद्युत वितरण निगम को चुड़ैला निवासी परिवादी शीशराम को डेढ़ हजार रूपये शारीरिक व मानसिक संताप के पेटे व 500 रूपये परिवाद व्यय के पेटे एक माह में अदा करने के निर्देश विद्युत वितरण निगम को दिए हैं। मंच ने अपने फैसले में कहा है कि परिवादी को पूर्व में जारी किए गए जनवरी 2010 के विद्युत बिल यूनिट 6930 को निरस्त किया जाता है और निगम को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को मीटर रिडिंग के अनुसार नया बिल दिया जाकर बिल की राशि का चार्ज वसूल किया जाए। स्मरण रहे कि विद्युत निगम ने उपभोक्ता को 55 हजार 340 रूपये का जनवरी माह का बिल दिया था।